दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर

(अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय की वैधानिक संस्था दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955(36) के तहत गठित)

क्र.: डी.के.एस. / मिनी उर्स / अ.निविदा / 2022 / **1210** दिनांक : 22.07.2022

प्रेषित:—

मेसर्स गुप्ता जी एडवराटाईजिंग एण्ड न्यूज एजेन्सी
मदार गेट, अजमेर

विषय : DAVP दर पर निविदा प्रकाशन बाबत।

महोदय जी,

निम्न अल्पकालीन निविदा सूचना को दिनांक 23.07.2022 के दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका के अजमेर संस्करण में DAVP दर पर प्रकाशित कर बिल मय दो समाचार पत्रों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

अल्पकालीन निविदा सूचना

मोर्हरम—1444 (मिनी उर्स 2022), दिनांक 30 जुलाई से 09 अगस्त 2022 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्यो हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. विश्रामस्थली, कायड़ पर वाहनों की पार्किंग निविदा।
2. ईदगाह, केसरगंज में चौपहिया वाहन की पार्किंग निविदा।
3. अस्थाई तौर से 16 CCTV with surveillance system कायड़ विश्राम स्थापित करने का कार्य निविदा।
4. विश्रामस्थली, कायड़ पर निर्धारित प्रिंटिंग, फ्लैक्स एवं फिक्सींग कार्य हेतु दर बाबत निविदा।
5. विश्रामस्थली पर पूर्णतः अस्थाई रूप से कार्य करने के योग्य व्यक्ति पूर्ण विवरण मय पहचान पत्र के साथ नाज़िम कार्यालय, कायड़ विश्रामस्थली पर दिनांक 28.07.2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक आवेदक / फर्म / निविदादाता नाज़िम कार्यालय की वेबसाईट www.gharibnawaz.minorityaffairs.gov.in से निविदा प्रपत्र एवं शर्ते डाउनलोड अथवा व्यक्तिगत 500 रूप्यें शुल्क देय करते हुए नाज़िम कार्यालय, दरगाह शरीफ़ से दिनांक 28 जुलाई 2022, अपराह्न 02:00 बजे तक प्राप्त कर जमा करा सकते हैं। प्राप्त निविदाऐं दिनांक 28 जुलाई 2022 को सायः 4 बजे उपस्थित निविदादाताओं एवं दरगाह कमेटी द्वारा खोली जाएगी। फार्म डाउनलोड करने पर प्रपत्र शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

नज़िम एंव मुख्यकार्यकारी अधिकारी

कृते नाज़िम

दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर

(अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय की वैधानिक संस्था दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955(36) के तहत गठित)

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र : अस्थाई 16 CCTV with Surveillance System (विश्रामस्थली, कायड़) स्थापित करने हेतु

निविदा फार्म, अवधि : दिनांक 30 जुलाई से 09 अगस्त 2022 तक

निविदा फार्म क्र : डी.के.एस./मिनी उर्स/अ.निविदा/2022/1210/ 22.07.2022

निविदा प्रपत्र शूल्क : 500 रूप्ये — धरोहर राशि : 5,000 रूप्ये मात्र।

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने एवं जमा कराने की तिथि : 28.07.2022 अपराह्न 02 बजे तक।

प्राप्त निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि : 28.07.2022 सायंः : 04 बजे तक।

निविदा कार्य की अनुमानित न्यूनतम लागत : एक लाख रूप्ये मात्र

1. निविदा दाता/फर्म का नाम : ....

   ....

2. पता (स्थाई) : ....

   ....

3. मोबाईल नम्बर : ....
4. पहचान पत्र : ....
5. पैन नम्बर : ....
6. रजि. नम्बर (यदि फर्म होतो) : ....
7. धरोहर राशि विवरण : DD No./MR No......................................Date : ....
8. कार्य अनुभव विवरण : ....

   ....

9. **निविदा राशि** (अधिकृत से कम) : **(अंको में)** ....

   (शब्दों में)..

यह की इस निविदा के सम्बन्ध में विशिष्ट नियम/शर्ते मेरे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली गई है जिसके प्रमाण स्वरूप इस प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गए हैं मैं इन शर्तो की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूं।

नोट : नियम एवं शर्ते सलंग्न 1 पृष्ठ।

हस्ताक्षर मय सील निविदा दाता

नियम और शर्ते
अस्थाई हेतु 16 CCTV with Surveillance System (विश्रामस्थली, कायड़)

1. निविदादाता को दरगाह कमेटी की समस्त नियम और शर्तो की पालना करनी होगी।
2. उक्त निविदा अवधि दिनांक 30 जुलाई 2022 से 09 अगस्त 2022 तक प्रभावी होगी।
3. **प्राप्त न्यूनतम निविदा दर को निविदा कार्य आवंटित किया जाएगा।**
4. भरे हुए निविदा फार्म के साथ निर्धारित धरोहर राशि 5000 (पांच हजार) की डी.डी./नकद **"नाज़िम, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर"** के नाम देय, जमा करवानी होगी।
5. धरोहर राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। कार्य समाप्ति के एक माह पश्चात् उक्त राशि चैक द्वारा लौटाई जाएगी।
6. निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ पहचान हेतु पैनकार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज़ फोटो एवं फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां सलंग्न करनी अनिवार्य है।
7. निविदा कार्य हेतु यदि सरकार की कोई ड्यूटी या टैक्स प्रभावी है तो निविदा दाता द्वारा देय होगी।
8. सीलबंद निविदा फार्म जिस पर **अस्थाई** 16-CCTV with Surveillance System **(विश्रामस्थली, कायड़)** अंकित कर **कार्यालय नाज़िम एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर** निर्धारित तिथि तक नाज़िम कार्यालय के निविदा बॉक्स में डालनी होगी।
9. उक्त सर्विलांस सिस्टम को प्रशासनिक कैम्प के चिन्हीत स्थान पर लगाना होगा।
10. सर्विलांस सिस्टम में या उसके उपकरण में किसी भी प्रकार के टूट फुट या नुकसान की जिम्मेदारी दरगाह कमेटी की नहीं होगी।
11. उक्त कार्य के संचालन में सम्बन्धित फर्म एवं व्यक्ति को कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
12. सफल निविदा दाता को 30 जुलाई 2022, प्रातः 08 बजे से कार्य प्रारंभ करना होगा। जिसकी सुर्पुदगी प्रशासनिक कैम्प में तैनात पुलिस कार्मिक को देनी होगी एवं साथ ही उसके संचालन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देना होगा। सफल निविदा दाता को स्वयं के एवं तकनीकी कार्मिक के नम्बर कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध करवाने होंगे। पुलिस विभाग से निगरानी प्रणाली के संबंध मे सूचना मिलने पर निस्तारण हेतु तुरन्त तकनीकी कार्मिक की सहायता से उसका निस्तारण करना होगा।
13. सफल निविदा दाता को निविदा अवधि में सर्विलांस सिस्टम की चौबिस घंटे व्यवधान रहित संचालन की सुनिश्चितता करना अनिवार्य होगा।
14. कार्य के दौरान किसी भी कार्मिक की दुर्घटना हो जाए तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सफल निविदा दाता की होगी। दरगाह कमेटी का इससे कोई सरोकार नहीं होगा।
15. समय समय पर जिला प्रशासन एवं दरगाह कमेटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी।
16. सफल निविदा दाता द्वारा कार्य को स्थानांतरित/सबलेट नहीं किया जाएगा।

17. अधिकृत लागत राशि से अधिक राशि आने पर निविदा अमान्य मानी जाएगी।
18. सफल निविदा दाता को 100 रूप्ये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
19. निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
20. नाज़िम एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
21. निविदा प्रपत्र में काट छांट, अस्पष्ट लेखन या अवर राईटिंग होने पर निविदा निरस्त होगी।
22. दरगाह कमेटी के सक्षम अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा निरीक्षण करने पर पूर्ण सहयोग करना होगा।

दिनांक :

निविदा दाता के हस्ताक्षर
मय नाम एवं पूर्ण पता